



समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

PBR/ग्वालियर/होशंगाबाद/था/2017/4891

केम्प भोपाल

आवेदक —:

सबूलाल आ. हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह गोड

निवासी जासरवानी तह. बनखेड़ी, जिला — होशंगाबाद

// वनाम //

अनावेदकगण —:

1. तरबरसिंह आ. हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह
2. छोटेलाल उर्फ शैरसिंह आ. हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह
3. ज्ञानबाई पुत्री स्वर्गीय लालवीर आ. हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह
4. कलाबाई पुत्री हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह
5. छोटीबाई पुत्री हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह
6. कमलाबाई पत्नि मुन्नालाल
7. राजेश कुमार आ. मुन्नालाल
8. भूरिबाई पुत्री हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह

सभी निवासी देवरी तह. बनखेड़ी जिला — होशंगाबाद

// निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 //

// उत्पन्न //

न्यायालय —: तहसीलदार बनखेड़ी, जिला — होशंगाबाद

राजस्व प्रकरण क्र —: 23आ/27 वर्ष 2014–15 मौजा जासरवानी

पक्षकार — तरवर वगैरा सबूलाल

अंतरिम आदेश दिनांक — 28/09/2017 (जिसके द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गई आपत्ति को निरस्त कर दिया गया।)

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

ठाकुर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR / निगरानी / होशंगबाद / भू.रा. / 2017 / 4891

कायवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक	प्रकरण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 28-9-17 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण में स्वत्व संबंधी प्रश्न उठाये जाने पर, तहसीलदार द्वारा स्वत्व का निराकरण कराये जाने हेतु प्रकरण तीन माह के लिए स्थगित किया गया है। तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति को स्वीकार ही किया गया है, फिर भी उससे आवेदक कैसे परिवेदित है, यह आवेदक द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।
	(मनोज गोयल) अध्यक्ष